BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 232/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE TIMES OF INDIA DATED 16.03.2023 TITLED "5 INCLUDING MAN & SON SUFFOCATE TO DEATH AT BRICK KILN IN CHHATTISGARH"

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD ALONG WITH THE AFFIDAVIT	1-8
2.	**ANNEXURE R-1** A true copy of the letter dated 21.03.2023 issued by CECB to the Office of the Collector and District Magistrate.	9
3.	**ANNEXURE-R 2** A true copy of the letter dated 02.04.2023 along with the action taken report issued by the Office of the Collector and District Magistrate to CECB.	10-36
4.	**Vakalatnama**	37

FILED BY

ABHINAY SHARMA
ADVOCATES FOR CECB
H-29, FIRST FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI-110014
Mob No. 7999374176
E-mail- abhinay@aslpartners.in

Filed on: 05.04.2023
Drawn on: 03.04.2023
Place: Raipur

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 232/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE TIMES OF INDIA DATED 16.03.2023 TITLED “5 INCLUDING MAN & SON SUFFOCATE TO DEATH AT BRICK KILN IN CHHATTISGARH”

REPLY ON BEHALF OF THE CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

1. At the outset, it is submitted that a present reply is being filed on behalf of the Chhattisgarh Environment Conservation Board (hereinafter referred to as **“CECB”**).
2. The present matter is based on the incident that took place at Gadhphuljhar village, in the Basna region on 14.03.2023, wherein five workers died of asphyxiation due to smoke inhalation, and another fell ill after inhaling smoke at a brick kiln.
3. That pursuant to the notice dated 20.03.2023 issued by this Hon’ble Tribunal, CECB vide its letter dated 21.03.2023, requested the Office of the Collector and District Magistrate, Mahasamund, Chhattisgarh to provide the requisite information regarding the said incident and the action taken thereafter by the district administration. A true copy of the letter dated 21.03.2023

issued by CECB to the office of the collector and district magistrate is marked and annexed herewith as **ANNEXURE R-1**

4. In response to the letter dated 21.03.2023 issued by CECB, the Office of the Collector and District Magistrate issued their reply vide letter dated 02.04.2023, along with the action taken report by the district administration. A true copy of the letter dated 02.04.2023, along with the action taken report issued by the Office of the Collector and District Magistrate to CECB is marked and annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

5. That as per the report dated 16.03.2023, received from the Sub-Divisional Officer, (Basna), the following facts pertaining to the said incident came within the knowledge of the answering Respondent:

    i. That on 14.03.2023, six laborers working in the brick kiln situated at Tehsil Basna, District Mahasamund, Chhattisgarh, set an assembled pile of bricks for heating at night and slept atop it.

    ii. Thereafter, the next morning i.e., on 15.03.2023, the brick kiln owner i.e., Mr. Kunjbihari Pade along with the brick maker i.e., Mr. Arjun Kumar went to the location of the brick kiln. Upon reaching the spot, they found that 6 laborers were lying in an unconscious condition over the top of the brick.

iii. Subsequently, the aforesaid laborers were immediately shifted to the hospital for treatment, where five of them were declared dead. According to the doctors, the cause of the death for these workers was asphyxia due to smoke inhalation.

iv. The sixth laborer was sent to the D.K.S specialty hospital, Raipur, for further treatment.

Following are the details of the aforementioned laborers: -

S.No.	**Name of the deceased worker/laborer**	**Age**
1.	Mr. Janakram Bariha	35 years
2.	Mr. Dayanidhi Bariha	30 years
3.	Mr. Gangaram Bisi	55 years
4.	Mr. Sonchand Bhoi	40 years
5.	Mr. Varun Bariha	24 years
Name of the injured worker/laborer		
6.	Mr. Manohar Bisi	30 years

v. Thereafter, the Inspector of Mines, District Mahamasund, submitted an investigation report on 28.03.2023, concerning the said incident, wherein it was stated that one Mr. Kunjbihari Pade, operated a brick kiln over his land and the contract of preparing the bricks was given by Mr. Avdhut Pade, father of Mr. Kunjbihari Pade. However, no official

permission was sought from the Department of Minerals for the construction work of the hand brick kiln operated by Mr. Kunjbihari Pade. It was further stated in the report that as per Rule 3 of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, Chhattisgarh native genetic potters or their cooperative societies are exempted from extracting soil from their village and since Mr. Kunjbihari Pade comes from the Kumhar community (that traditionally made pottery), therefore he comes under the exempted category and consequently no case was registered against him. Rule 3 of Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 is reproduced herein for the easy reference of this Hon'ble Tribunal: -

> *Exemptions. - Notwithstanding anything contained in these rules,-*
>
> *(i) Extraction of ordinary clay or ordinary sand by hereditary Kumhars, being domicile of Chhattisgarh or their co-operative societies for preparing pots, tiles, and bricks by traditional means, but not by process of manufacture in chimney-kilns or by any mechanical means, from the area of village of their common residence that may be decided and earmarked by the Gram Panchayats within their respective panchayat area for extraction of ordinary clay and ordinary sand:*
>
> *Provided that no extraction shall be made from any public place and within 50 meters in all directions from such public place;*
>
> *(ii) The removal of minor minerals from quarries shall be exempted, whether situated in*

private or Government land, when such quarries have not been appropriated to the use of a department of the State Government and the minor minerals are not mined for sale but are required for the construction or repairs of wells, other agricultural works or for the construction or improvement of the dwelling houses of agriculturists, village artisans and laborers residing in revenue or forest villages;

(iii) *The minor minerals removed from Government lands for public works by Gram Panchayats, Janpad Panchayats, and Zila Panchayats for work undertaken by respective Panchayats shall be exempted.*

(iv) *The search for minor minerals at the surface, not involving any substantial removal of the soil by digging up pits, trenches, or otherwise, shall be exempted;*

(v) *The chipping of outcrops with a geological hammer, for the purposes of taking samples, shall not be deemed to be a substantial removal of the soil: Provided that the aforesaid exemptions do not afford immunity from any action which might be taken under any existing rules or any act of the State or the Central Government, for unauthorized removal of minor minerals from 184 any land by private person without the permission of the State Government or any officer or Authority authorized by it in this behalf;*

(vi) *Excavation and regulation of the Minor Minerals specified in Part B of Schedule-II shall be governed by the Chhattisgarh Minor Mineral Sand Excavation and Trade Regulation Order, 2006.*

6. Upon further inquiry, it came to the knowledge of the answering Respondent that the Chief Minister of Chhattisgarh i.e., Mr. Bhupesh Baghel has directed the officials to provide financial assistance of Rs. 2,00,000/- lakhs to the family of each of the deceased laborer and medical aid to the hospitalized brick kiln worker.
7. Thus, it is submitted that in the said case, the appropriate actions have been taken by the concerned departments for safeguarding the interests of the victims and family members of the deceased laborers.
8. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal may, therefore, take the present reply on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by CECB.

FILED BY

ABHINAY SHARMA
ADVOCATES FOR CECB
H-29, FIRST FLOOR, JANGPURA EXTENSION,
NEW DELHI-110014
Mob No. 7999374176
E-mail- abhinay@aslpartners.in

Drawn on: 03.04.2023
Filed on: 05.04.2023
Place- Raipur

CANCELLED

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 232/2023

NOTARY GOVT. OF INDIA Thanwar Ram Sahu ADVOCATE RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.- 17692 Exp - 11/12/2024

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE TIMES OF INDIA DATED 16.03.2023 TITLED "5 INCLUDING MAN & SON SUFFOCATE TO DEATH AT BRICK KILN IN CHHATTISGARH"

I, MANISH KASHYAP, Authorised Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board, registered office at C.G. Housing Board Colony, Kabir Nagar, Raipur, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Authorized Representative of CECB in the present matter and am well conversant with the facts of the present case and competent to affirm this affidavit.
2. That I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted under my instructions and state that the contents of the same are true and correct to my knowledge based on the records maintained by me.
3. The contents of the accompanying Reply have been explained to me in vernacular.

DEPONENT

Regional Officer
C.G. Environment Conservation Board
Commercial Complex, C.G. Housing Board Colony
Kabir Nagar, Raipur

NOTARY GOVT. OF INDIA Thanwar Ram Sahu NOTARY ADVOCATE RAIPUR (C.G.) INDIA REG. No.-17692 Exp.- 11/12/2024

3 APR 2023

Scanned by TapScanner

VERIFICATION

I, the Deponent above named, do hereby verify that the contents of foregoing affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at RAIPUR on this 3rd day of April 2023.

IDENTIFYING WITNESS

मुलशन कुमार

गुलशन साहू
9630302911
J.L.A. ROCECB

IDENTIFYING WITNESS

SOLEMENLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

Thanwar Ram Sahu
NOTARY/ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA

3 APR 2023

NOTARY
Thanwar Ram Sahu
NOTARY/ADVOCATE
RAIPUR (C.G.) INDIA
REG. No.-17692
Exp.- 11/12/2024
GOVT. OF INDIA

INDIA
No.-17692
Exp.- 11/12/2024
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

Regional Officer
C.G. Environment Conservation Board
Commercial Complex, C.G. Housing Board Colony
Kabir Nagar, Raipur

Scanned by TapScanner

ANNEXURE R-1

छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)
E-Mail – rocecbraipur2014@gmail.com

क्रमांक 5176/क्षेका/तक/छ.प.सं.मं/2023 रायपुर दिनांक 21/3/2023

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–महासमुंद (छ.ग)

विषय :– Notice of hearing in Suo Motu matter In re : News item published in The Times of India dated 16.03.2023 titled "5 including man & son suffocate to death at brick klin in C' garh".

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 8832 दिनांक 21.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त माननीय एन.जी.टी. प्रीसिपल बेंच नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण OA No. 232/2023 "5 including man & son suffocate to death at brick klin in C' garh" के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता को मंडल मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। माननीय एन.जी.टी. से प्राप्त नोटिस एवं समाचार पत्र की कटिंग संलग्न है। कृपया प्रकरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच एवं तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराने का सादर अनुरोध है, ताकि जानकारी मंडल के अधिवक्ता के माध्यम से माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /क्षेका/तक/छ.प.सं.मं/2023 रायपुर दिनांक / /2023

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग) की ओर कृपया सूचनार्थ सादर संप्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

आवक शाखा
कार्यालय कलेक्टर
21/3/23

Scanned by TapScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द (छ.ग.)

Phone Number- 07723-222540, E-mail:- msamund.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक / 181 / क / एस.डब्ल्यू. / 2023 महासमुंद, दिनांक 02/04/03/2023

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Notice of hearing in Suo Motu matter in re : News item published in The Times of India dated 16.03.2023 titled "5 including man & son suffocate to death at brick klin in C'garh."**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / 5176 / क्षेका / तक / छ.ग.सं.मं. / 2023, रायपुर दिनांक 21.03.2023.

——000——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय एन. जी.टी. प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण OA No. 232/2023 "5 including man & son suffocate to death at brick klin in C'garh" के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच एवं तदानुसार की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है।

02) उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बसना से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बसना के प्रतिवेदन दिनांक 16.03.2023 अनुसार ग्राम गढ़फुलझर, प.ह.नं. 45, रा.नि.मं. गढ़फुलझर, तहसील बसना, जिला महासमुन्द (छ.ग.) में स्थित भूमि खसरा नंबर 168/2, रकबा 0.06 हे. भूमि में कुंजबिहारी पिता अवधुत के द्वारा ईंट तैयार करने हेतु ठेका दिया गया था। इस ईंट भट्ठे में कार्यरत 06 मजदूर रात्रि में ईट पकाने हेतु ईंट भट्ठे में आग लगाकर ईंट भट्ठे के उपर सो गए थे, उसके अगले सुबह दिनांक 15 मार्च 2023 को ईंट बनाने वाला मजदूर अर्जुन राणा एवं ईटं भट्ठा मालिक कुंजबिहारी के द्वारा मौका स्थल पर देखा कि 06 मजदूर भट्ठा के ऊपर सोये हुये अवस्था में थे। 06 मजदूरों में से 01 घायल व्यक्ति मनोहर बिसी पिता गंगाराम बिसी को ईलाज हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया तथा घायल व्यक्ति मनोहर बिसी को प्राथमिक उपचार उपरांत डी.के.एस. सुपरस्पेशलिटि हॉस्पिटल, रायपुर भेजा गया है तथा शेष 05 व्यक्ति की मृत्यु ईंट भट्ठे के धुंए से दम घुटने से हुई है। (जांच प्रतिवेदन, पंचनामा एवं एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न)

03) खनि निरीक्षक, जिला महामसुन्द के जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.03.2023 अनुसार श्री कुंजबिहारी पाडे पिता श्री अवधुत पाडे निवासी ग्राम गढ़फुलझर द्वारा स्वयं की भूमि पर बस्ती के श्रमिकों के माध्यम से किसानों के खेत से मिट्टी लाकर ईट निर्माण एवं ईंट भट्ठा का संचालन किया जाना पाया गया है। कुंजबिहारी पाडे द्वारा संचालित हाथ ईट भट्ठा निर्माण कार्य के लिये खनिज विभाग से कोई अनुमति नहीं लिया गया है। मौके पर 15 घ.मी. मिट्टी, लगभग 10000 नग कच्ची ईंट एवं 90000 नग ईट पकाने हेतु भट्टा में रखा होना पाया गया। **छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 3 के तहत् छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आनुवंशिक कुम्हार या उनकी सहकारी सोसायटी द्वारा परंपरागत संसाधनों से बर्तन, कवेलू और ईट बनाने के लिये उनके ग्राम के क्षेत्र से मिट्टी निकालने की छूट प्राप्त है। चूंकि ईट भट्ठा संचालनकर्ता श्री कुंजबिहारी पाडे पिता अवधुत पाडे की जाति कुम्हार होने के कारण खनिज मिट्टी की अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है।** (जांच प्रतिवेदन संलग्न)

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
महासमुन्द

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना, जिला महासमुन्द

//प्रतिवेदन//

क्रमांक 610 /क/वा–1/अविअ./2023 बसना, दिनांक 16/03/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय
महासमुन्द

विषयः– ग्राम गढफुलझर तहसील बसना मे ईट भठ्ठे में घटित घटना के संबंध में।

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 14/03/2023 की रात्रि ग्राम गढफुलझर तहसील बसना में ईट भठ्ठे मे काम करने वाले 06 मजदूर ईट भठ्ठी के उपर सोये थे । अगले दिन जब सुबह ईट भठ्ठा का मालिक मौका स्थल पर देखा तो पाया कि 6 मजदूर ईट भठ्ठी के उपर सोये हुए अवस्था मे थे जिसकी सूचना राजस्व अमले के माध्यम से प्राप्त होते ही राजस्व, स्वास्थ्य एवं पुलिस के अधिकारी टीम के साथ घटना स्थल पहुंचकर सभी 6 मजदूरो को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद 5 मजदूरो को डाक्टरो के द्वारा ईट भठ्ठे के धुएं से दम घुटने से मृत घोषित किया गया तथा 1 मजदूर के उपचार हेतु डी0के0एस0 सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया है।

उक्त घटना में मृत एवं घायल व्यक्ति की जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क्र.	मृतक/घायल का नाम एवं पिता/पति का नाम	लिंग महिला/पुरूष	उम्र लगभग
मृतको का नाम			
1	गंगाराम बिसी पिता जगतराम बिसी	पुरूष	55 वर्ष
2	दशरथ बिसी पिता गंगाराम बिसी	पुरूष	30 वर्ष
3	सोनाचंद्र भोई पिता गोवर्धन भोई	पुरूष	40 वर्ष
4	वरूण बरिहा पिता रामसुरित बरिहा	पुरूष	24 वर्ष
5	जनकराम बरिहा पिता त्रिलोचन	पुरूष	35 वर्ष
घायल व्यक्ति का नाम			
1	मनोहर बिसी पिता गंगाराम बिसी	पुरूष	30 वर्ष

अतः प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु सादर प्रेषित है।

16/3/023

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बसना

कार्यालय तहसीलदार बसना, जिला महासमन्द (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक/238/कानूनगो/तह0/2023 बसना, दिनांकः—16/03/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय
महासमुन्द छ.ग.

द्वारा :— अनुविभागीय अधिकारी रा.
बसना

विषय :— ग्राम गढ़फुलझर के ईट भठ्ठे में घटित घटना की जानकारी बाबत्।

—00000—

विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम गढ़फुलझर प0ह0नं0 45 रा0नि0मं0 गढ़फुलझर तहसील बसना जिला महासमुन्द छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 168/2 रकबा 0.06 हे. भूमि में कुंजबिहारी पिता अवधुत के द्वारा ईट तैयार करने हेतु ठेका दिया गया था। इस ईट भठ्ठे में कार्यरत 06 मजदूर रात्रि में ईट को पकाने हेतु ईट भठ्ठे में आग लगाकर ईठ भठ्ठे के उपर सो गए थे, उसके अगले सुबह दिनांक 15 मार्च 2023 को ईट बनाने वाला मजदूर अर्जुन राणा एवं ईट भठ्ठा का मालिक कुंजबिहारी के द्वारा मौके स्थल पर देखा कि 06 मजदूर भठ्ठा के उपर सोये हुये अवस्था थे। जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैः—

01/ गंगाराम बिसी पिता जगतराम बिसी उम्र 55 वर्ष सा. गढ़फुलझर,

02/ दयानिधि बिसी पिता गंगाराम बिसी उम्र 30 वर्ष सा. गढ़फुलझर

03/ सोनाचंद भोई पिता गोवर्धन भोई उम्र 40 वर्ष सा. गढ़फुलझर

04/ वरूण बरिहा पिता रामसुरित बरिहा उम्र 24 वर्ष सा. गढ़फुलझर,

05/ जनकराम बरिहा पिता त्रिलोचन बरिहा उम्र 35 वर्ष सा. गढ़फुलझर

06/ मनोहर बिसी पिता गंगाराम बिसी उम्र 30 वर्ष सा. गढ़फुलझर

उन 06 मजूदरों में से 01 घायल व्यक्ति मनोहर बिसी पिता गंगाराम बिसी उम्र 30 वर्ष सा. गढ़फुलझर को ईलाज हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया तथा घायल व्यक्ति मनोहर बिसी पिता गंगाराम बिसी उम्र 30 वर्ष़ सा. गढ़फुलझर को प्राथमिक उपचार उपरांत डी.के.एस. सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया है तथा शेष 05 व्यक्ति की मृत्यु ईट भठ्ठे के धुए से दम घुटने से हुई है।

उपरोक्तानुसार जानकारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– पंचनामा, बयान 08 प्रति।

नायब तहसीलदार
बसना

16/03/2025

पंचनामा

आज दिनांक 15/03/2023 को ग्राम गढ़फुलझर प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. गढ़फुलझर तहसील बसना जिला महासमुंद (छ.ग.) के कुंजबिहारी पिता अवधुत जाति कुम्हार निवासी गढ़फुलझर के द्वारा ग्राम गढ़फुलझर के प.ह.नं. 45 के निजी भूमि खसरा नंबर 168/2 रकबा 0.06 हे. में कुंजबिहारी के द्वारा मजदूरों के द्वारा लगभग 88000 कच्चे ईंट निर्माण करवाकर एवं उक्त ईंट को पकाने के लिये भट्ठा के मजदूर देना पर बात कर, ईंट का भट्ठा बना कर एवं पका कर [illegible] देने हेतु 400/- प्रति हजार ईंट की दर से मजदूर नीलाराम पिता [illegible] [illegible] पिता [illegible], [illegible] पिता [illegible], [illegible] पिता रामसुन्दर, [illegible] पिता [illegible] एवं मनोहर पिता गंगाराम से सौदा तय हुआ था। मजदूरों के द्वारा उनका ईंट भट्ठा बनाने का काम 09/03/2023 को प्रारंभ किया गया। तब से मजदूरों के द्वारा भट्ठा बनाने का कार्य चालू था। दिनांक 14/03/2023 को लगभग 5:00 बजे भट्ठा का कार्य करा कर आग लगाया गया। रात्रि 9 बजे के आसपास कुंजबिहारी के द्वारा मजदूरों को कम्बल दिलवाकर अपना घर वापस आया एवं मजदूर लोग रात्रि पर भट्ठा आग को देखने हेतु वहीं पर रुक गये। सुबह लगभग ईंट बनाने वाला मजदूर [illegible] एवं कुंजबिहारी के द्वारा मौके स्थल पर देखा गया कि मजदूर भट्ठा के ऊपर सोये हुये अवस्था में पाया गया। एक मजदूर मनोहर पिता गंगाराम के द्वारा हाथ हिलाने पर कुंजबिहारी व ग्रामवासी के सहयोग से सभी मजदूर को नीचे उतारा गया। [illegible] घायल मजदूर मनोहर को [illegible] सी.एच.सी. बसना अस्पताल ले जाया गया। उक्त ईंट कुंजबिहारी के द्वारा निजी उपयोग हेतु घर बनाने के लिये बनवाया गया था।

पंचनामा पढ़/सुना सही पाया हस्ताक्षर किया।

(कुंजबिहारी)

सरपंच
ग्राम पंचायत गढ़फुलझर
ज.पं.बसना, जि.महासमुन्द(छ.ग.)

15/03/2023

15.3.23

प्रत्यक्षदर्शी बयान

बयान - रमेश कोली / स्व. स्वरूप कोली साकिन रखवा उम्र 50
निवासी - गढ़कुमार, व्यवसाय - कृषि मजदूरी

मेरा कथन यह है कि मेरा चचेरा भाई मनोहर पिता ओंकारलाल कोली रखवा निवासी गढ़कुमार दिनांक 14/03/2023 को रात्रि भोजन के समय चौराहे पर पाके के खेत के पास बैठ पकाने के लिये झुंपड़ी के ढेर पर सोया हुआ था। और वहीं पर मेरे चचेरा भाई मनोहर व श्यामलाल व मेरे चाचा ओंकारलाल काम करने के लिये आये थे। अगली सुबह तारीख 15/03/2023 को 6 बजे के आस-पास मौके पर देखा तो लोगों को जलते हुए थे। उनको कर मनोहर मेहाजी लाल के एम्बुलेंस से बसेड़ा अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिये ले जाये थे। प्रथम और पाँच व्यक्ति ओंकारलाल, श्यामलाल, सोनाराम, अनुराग व बद्रीलाल को पुलिस गाड़ी पर बस मौके पर से बसेड़ा अस्पताल ले जाया। पाँच व्यक्ति की घटना स्थल पर दम तोड़ने के पश्चात धुंए से दम घुटने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है। मेरा कथन इतना ही है।

(हस्ताक्षर)

शपथपूर्वक बयान

नाम - दिपांजली भोई उम्र 30 निवासी - गढ़फुलझर
व्यवसाय - गृहणी।

मेरा कथन यह है कि मेरी पति सोनचंद पिता गोरधन भोई जाति सवरा निवासी गढ़फुलझर के शासकीन चंद्रशेखर पांडे के घर के पास दिनांक 15/03/2023 किये ठुमनिशारी से ठेका लिया गया था। और वहीं पर ईंट पकाने के कार्य के दौरान रात्रि के समय खाना खाने कुएं वहीं पर काम करने के दौरान लोगों के द्वारा बताया गया कि आपके पति सोनचंद पिता गोरधन का ईंट के धुंए से दम घुटने के कारण मृत्यु होना बताया गया। उसे मृत्यु के विषय अन्य संदेहास्पद स्थिति नहीं लगती। मेरा कथन इतना ही है।

दीपांजली भोई

शपथपत्रित बयान

नाम- रामकुबेर / पिता [illegible] जाति विश्वकर्मा उम्र- 60
व्यवसाय कृषि मजदूरी

मेरा कथन यह है कि मेरा पुत्र [illegible] पिता रामकुबेर जाति विश्वकर्मा निवासी [illegible] दिनांक 14/03/2023 के रात्रि को [illegible] परसपुर रास्ते के पास [illegible] पकाने के लिये ड्यूटी [illegible] होटल में किया गया था मौके पर [illegible] के दौरान घटना घटित हुई। मैं सुबह लगभग 7 बजे के समय मौके पर गया तो मेरे पुत्र [illegible] व [illegible] को [illegible] एवं स्वास्थ्य विभाग की [illegible] के [illegible] वहां पर लोगों के [illegible] बताया कि वह [illegible] भट्ठी के धुएं के दम घुटने के कारण [illegible] मृत्यु होना बताया गया। मेरा कथन इतना ही है। मैंने [illegible] घर [illegible] मोटरसाइकिल लेकर [illegible] अस्पताल में [illegible] को गया। और वहां पर मैंने [illegible] को मृत अवस्था में पाया।

अ. रामकुबेर

<u>शपथकर्ता बयान</u>

नाम- लोचन / पत्नी स्व० किशनचन्द उम्र 65 वर्ष
व्यवसाय — मजदूरी

मेरा कथन यह है कि मेरा पुत्र जनकराम पिता स्व० लोचन ... निवासी ... दिनांक 13/03/2023 को ... के घर के पास ईंट भट्ठे के लिये ... का ठेका लिया गया था। और वहीं पर काम के दौरान रात्रि के समय खाना खाने व आराम करने हेतु रात्रि में रुके हुये थे। दिनांक 15/03/2023 को प्रातः मौके पर गया तो उपस्थित ग्रामवासी द्वारा ईंट भट्ठे के ऊपर से लाश को निकाल रहे थे। मौके पर बताया गया कि मेरे पुत्र जनकराम की मृत्यु ईंट भट्ठे के धुंए से दम घुटने के कारण मृत्यु होना बताया गया। मेरा कथन सत्य ही है।

अ.नि. लोचन

<u>शपथ सहित बयान</u>

नाम- श्यामकुमार / चुन्नी [illegible] जाति सवरा उम्र- 46
निवासी- गढ़कुलवार व्यवसाय - मजदूरी

मेरा कथन यह है कि मेरे चाचा गंगाराम पिता [illegible] जाति सवरा निवासी गढ़कुलवार दिनांक 14/03/2023 को रात्रिकालीन समय रामेश्वर पाण्डे के घर के पास बेर पकाने के लिये कुल्हाड़ी को लेकर मौके पर आये बेर पेड़ से गिरके कुछ लगभग 6 बजे के आसपास मौके पर देखा तो बेर पेड़ के ऊपर से नीचे उतार कर जमीन पर रखा गया। मौके पर मेरे चाचा गंगाराम मृत अवस्था पाया गया जिसे मृत्यु का कारण मौके पर बेर पेड़ के ऊपर से गिरने के कारण प्रतीत होता है। मेरा कथन इतना ही है।

श्यामकुमार [illegible]

प्रत्यक्षदर्शी बयान

नाम- श्याम कुमार / चुन्नी लाल जाति लोधा उम्र 46
निवासी - आदकुल्हार ; व्यवसाय - मजदूरी

मेरा कथन यह है कि मेरे ~~चाचा~~ चचेरा भाई दयानिधि पिता डोंगाराम जाति लोधा निवासी आदकुल्हार दिनांक- 14/03/2023 को रात्रिकालीन समय पं. रमेश्वर पाण्डे के घर के पास ईंट पकाने के लिये [illegible] से ठेका लेकर मौके पर काम कर रहे थे। अगले सुबह दिनांक 15/03/2023 को लगभग 6 बजे के आस-पास मौके पर देखा तो ईंट भट्ठे के ऊपर से नीचे उतर कर जमीन पर रखा था। मौके पर मेरे चचेरे भाई दयानिधि मृत अवस्था में पाये गये मृत्यु का कारण मौके पर ईंट भट्ठा के धुंये से दम घुटने के कारण प्रतीत होता है। मेरा कथन सत्य है।

श्याम कुमार चौधरी

[illegible] बयान

नाम- विभिषण पाण्डे पिता विश्वनाथ पाण्डे उम्र 35
निवासी · गढकुण्डार , व्यवसाय - मजदूरी

मेरा कथन यह है कि सुबह करीब 6:30 बजे के आस पास मौहा कुडा पी.एस. पाण्डे के पास कौठे पर घटना स्थल पर पहुँचा वहीं पर मेरे द्वारा देखा गया कि ईट भट्टा के ऊपर छः व्यक्ति सोये थे / जिनमें कमलेश, गंगाराम, रघुनाथ, अकराम सोनालाल, अवधेश को मेरे द्वारा सोते स्थिति में देखा गया / उसके पश्चात मेरे द्वारा कोटवार व मोहल्ले के घटना की रिपोर्ट को बताने आया/ कोटवार के साथ कौठे पर आया उसके पश्चात एम्बुलेंस आया एम्बुलेंस में मनोहर को बिना स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया / बाकी पाँच व्यक्ति की मृत अवस्था में थे रघुनाथ अकराम सोनालाल अवधेश गंगाराम को एम्बुलेंस पर सामुदायिक केन्द्र बड़जान ले जाया गया / मृत्यु का कारण ईट भट्टे का धुंआ से दम घुटने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। मेरा कथन इतना ही है।

विभिषण पाण्डे

शपथकृत बयान

नाम- छिब्बीलाल / [illegible] जाति [illegible] उम्र 57
निवासी - [illegible], व्यवसाय- काम [illegible]

मेरा कथन यह है कि सुबह करीब 6 बजे के आस-पास मैं रोड के पास टहल रहा था उसी समय कस्बे के विभिन्न पार्टी के द्वारा बताया गया कि [illegible] रोड के पास हाइमास्ट के काम करने वाले व्यक्ति [illegible] के ऊपर 6 व्यक्ति अचेत अवस्था में देखा गया। जिससे पता चला कि वह व्यक्ति ठेकेदार का है ठेकेदार के [illegible] मेरे द्वारा घटना के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दिया गया। मौके पर उसमें से एक व्यक्ति मनोज के द्वारा हाथ हिलाने व हिलडोल होने पर वहीं पर उपस्थित व्यक्तियों के [illegible] उतारकर [illegible] को लाया गया। [illegible] पांच व्यक्ति [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] को [illegible] अवस्था में [illegible] [illegible] पांचों व्यक्ति को मृत्यु हाइमास्ट के छूने से करंट लगने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। मेरा कथन इतना ही है

[illegible] 2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला):महासमुंद P.S. (थाना):बासना Year (वर्ष):2023
FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0154
Date and Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 15/03/2023 14:10 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304-A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 14/03/2023 Date To (दिनांक तक): 15/03/2023
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 22:00 बजे
Time To (समय तक): 05:30 बजे
(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):15/03/2023 Time (समय): 14:10 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002
Date & Time (दिनांक और समय): 15/03/2023 14:10 बजे

4.Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 08 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): कुंज बिहारी पाडे का ईटा भठ्ठा ग्राम गढफुलझर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): रसीक बिसी की ओर से सउनि दरबारी राम तारम
(b) Father's Name (पिता का नाम) : उद्धवो बिसी
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1968
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

Scanned with CamScanner

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गढफुलझर ,बासना,महासमुंद,छत्तीसगढ़,भारत
2	स्थायी पता	गढफुलझर ,बासना,महासमुंद,छत्तीसगढ़,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कुंज बिहारी पाडे उम्र 53 साल		पिता का नाम : अवधुत पाडे	1. गढफुलझर ,बासना,महासमुंद,छत्तीसगढ़,भार

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

मर्ग जांच पर से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना बसना में सउनि के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 15.03.2023 को जरिये मोबाईल के सूचना मिला कि कुंज बिहारी पाडे ग्राम गढफुलझर के ईटा भठ्ठा में ईटा पकाने के लिये आग लगाया गया है आग लगे ईट भठ्ठा के ऊपर कुछ लोग धुएं से बेहोश होकर पडे हैं की सूचना पर तत्काल सूचना तस्दीकी हेतु थाना बसना के स्टाफ मौका पहुंचे जहां पर मजदूर दयानिधी बिसी , गंगाराम बिसी , सोनाचंद भोई , अरूण बरिहा , जनकराम बरिहा, मनोहर बिसी बेहोश हालत में जिन्हें डायल 112, 108 की मदद से शासकीय अस्पताल बसना लाया गया डाक्टर साहब द्वारा चेक करने पर दयानिधी बिसी , गंगाराम बिसी , सोनाचंद भोई , अरूण बरिहा , जनकराम बरिहा को मृत घेपित किये एवं मनोहर को उच्च स्तरीय ईलाज हेतु रिफर कर दिये। सूचक रसीक बिसी के थाना बसना उपस्थित आकर मौखिक सूचना के आधार पर थाना बसना में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 13/23 के मृतक दयानिधी बिसी, मर्ग क्रमांक 14/23 के मृतक गंगाराम बिसी, मर्ग क्रमांक 15/23 के मृतक सोनाचंद भोई, मर्ग क्रमांक 16/23 के मृतक अरूण बरिहा एवं मर्ग क्रमांक 17/23 के मृतक जनक राम बरिहा कायम किया गया। मर्ग क्रमांक 13/23 के मृतक दयानिधी बिसी की जांच प्र0आर0 238 ललित पटेल, मर्ग क्रमांक 14/23 के मृतक गंगाराम बिसी की जांच प्र0आर0 215 माधव यादव, मर्ग क्रमांक 15/23 के मृतक सोनाचंद भोई की जांच मुझ सउनि दरबारी राम तारम, मर्ग क्रमांक 16/23 के मृतक अरूण बरिहा की जांच प्र0आर0

Scanned with CamScanner

74 संतोष यादव एवं मर्ग क्रमांक 17/23 के मृतक जनक राम बरिहा की मर्ग जांच सउनि रनसाय मिरी के द्वारा किया गया सभी के मर्ग जांच, पंचानों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण एवं आसपास के ग्रामीणों के कथन एवं डाक्टर से प्राप्त सभी के पीएम रिपोर्ट के आधार पर सभी मृतकों की मृत्यु Asphyxia due to smoke inhalation से होना लेख करने पर आरोपी ईटा भठ्ठा संचालक कुंज बिहारी पाडे के द्वारा बिना सुरक्षा के इंतजाम एवं मजदूरों से ईट भठ्ठा में लापरवाही पूर्वक देर रात्री तक ईट भठ्ठा में आग लगाने के पश्चात भी काम कराने के कारण ईट भठ्ठा से निकली धुआं के कारण मजदूरों दयानिधी बिसी , गंगाराम बिसी , सोनाचंद भोई , अरूण बरिहा , जनकराम बरिहा की मृत्यु होना पाये जाने से आरोपी कुंज बिहारी पाडे के विरूद्ध अपराध सदर धारा 304 ए भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken:Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or DARBARI RAM TARAM (Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)) /

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): **No.(सं.):**
to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):
District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

15/3/23

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

15/3/23

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Name (नाम): DARBARI RAM TARAM
Rank(पद): Asst. SI (Assistant Sub...
No.(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma(लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Scanned with CamScanner

(आई.आर.डी.) जाँच फार्म -I

Short PM report 15-3-22 5:00 pm

Received 5 dead body of avg. built male details as mentioned below :-

1) Janak ram Bariha - 35 yrs/M.
2) Dayanidhi Bishi - 30 yrs/M
3) Gangaram Bishi - 55 yrs/M
4) Sonchand Bhoi - 40 yrs/M
5) Arun Bariha - 24 yrs/M

All resident of Gurlphuljhar. Post mortem examination was conducted by me and based on my examination my opinion is :-

Cause of Death :- Asphyxia due to smoke inhalation.

Duration of Death :- Within 24 hrs from post mortem examination.

Dr. Prince Agrawal
Medical Officer
CHC Basna
Manasamund (C.G.)

Dr. Prince Agrawal
MO CHC Basna

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कथन

लोचन बरिहा पिता धालीराम बरिहा उम्र 70 वर्ष साकिन गढ़फुलझर थाना बसना जिला महासमुंद

—— x ——

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। खेती किसानी का काम करता हूँ। जनकराम बरिहा मेरा भाई का लड़का है, जो पिछले कुछ दिन से कुंजबिहारी पाड़े ग्राम गढ़फुलझर के ईंट भट्ठा में मजदूरी का काम कर रहा था। व वहीं खाना पीना करता था, व वहीं सोता था, आज दिनांक 15/3/23 को करीबन 6/30 बजे मृतक जनक की पुत्री ने मुझे बताया कि पिताजी रात में घर नहीं आये है, तब मैं कुंजबिहारी पाड़े के ईंट भट्ठा के पास गया, देखा तो लोगो की भीड़ लगी थी, लोगो से पूछताछ करने पर बताये कि मृतक जनक अपने प.5 साथियों के साथ काम करके ईंट भट्ठा में आग लगाने के बाद खाना खाकर ईंटा भट्ठा के ऊपर सो गये है. भट्ठा से धुंआ निकलने के पश्चात कारण दम घुटने से मृत्यु हुआ होगा, उनकी मृत्यु पर मुझे अन्य शक शुबा नहीं है।

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

बयान

सुरेन्द्र पिंजारा पिता श्री अभिमन्यु पिंजारा उम्र - 20 साल साकिन बिलपिनपुर थाना सांकरा जिला - महासमुंद

— x —

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं मजदूरी का काम करता हूं। करीबन एक माह से मैं अपने अन्य 04 साथियों के साथ ग्राम बसना के रघुनाथ पटेल के नव निर्मित काम्पलेक्श जो गढ़फुलझर में बन रहा है जिसमें मजदूरी का काम कर रहे हैं रात्रि होने पर हम लोग काम खतम करके निर्माणाधीन काम्पलेक्श के बगल में कुंजबिहारी पाण्डे का ईंट का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें करीबन 06 लोग काम करते थे दिनांक 14/03/2023 को ईंट भट्ठा का काम समाप्त हुआ उसके बाद हम लोग रात्रि में ईंट भट्ठा में आग लगाये व खाना खाकर सभी 06 लोग ईंट भट्ठा के उपर सो गये थे। सुबह करीबन 06/00 बजे हम लोग उठे और देखे तो कुछ लोगो की भीड़ लगी थी। पास में जाकर देखे तो ईंट भट्ठा के उपर 05 लोग पड़े हुए थे एक व्यक्ति छटपटा रहा था कुछ देर में भीड़ इकट्ठा हुयी और डायल 112 आ गया व उक्त घायल व्यक्ति को ईंट भट्ठा से निचे उतारे कुछ समय बाद पता चला कि 05 व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है पांचो व्यक्तियों की मृत्यु ईंट भट्ठा में आग लगाने से उत्पन्न धुंआ के कारण हुयी होगी। संभवतः आग इन्हीं (मृतकों) द्वारा ही लगायी गयी होगी। जिसके कारण उन लोगो की मृत्यु हुयी है मुझे उनकी मृत्यु पर अन्य कोई शक शंका नहीं है

[signature]
15/03/2023

सुरेन्द्र पिंजारा

सत्यापित
[signature]
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कथन

रुद्रप्रताप भोई पिता हेमन्त भोई उम्र 24 वर्ष ग्राम गढ़फुलझर थाना बसना जिला महासमुंद। Mo-9399682688

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। कक्षा 12वीं तक पढ़ा लिखा हूं। वर्तमान में खेती किसानी का काम करता हूं। हमारे गांव के कुंज बिहारी पांडे के ईंट भट्ठा में हमारे गांव के गंगाराम, वरुण, दयानिधी, लोकनाथ भोई मनोहर, व जनक लोग काम कर रहे थे। आज दिनांक 15/3/23 को हमारे मोहल्ले के लोग बताये कि हमारे पारा के 05 लोग ईंट भट्ठा में खतम हो गये हैं। तब मैं भी जाकर देखा तो, मनोहर को ऊपर से उतारकर होश में रहने पर इलाज के लिये ले जा रहे थे, तथा हमारे गांव के ही गंगाराम, लोकनाथ, जनक दयानिधी व वरुण जो कि ईंट भट्ठा के ऊपर ही जहां धुंआ भर गया था, उसे पुलिस वाले व गांव वाले मिलकर ईंट भट्ठा से नीचे उतारे हैं। पांचों व्यक्ति खतम हो गये थे। मुझे लगता है कि लोग ईंट भट्ठा में आग लगाने के बाद ईंट भट्ठा के ऊपर सोने चले गये थे, तथा ईंट भट्ठा के धुंआ से दम घुटने पर मृत्यु होना लग रहा है। इनकी मृत्यु पर अन्य कोई शंका नहीं है।

15/3/23

Rudra Bhoi

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कथन -

प्रीतम मोर्डे पिता श्याम कुमार मोर्डे उम्र 21 वर्ष साo गढ़फुलझर थाना बसना मो. 7999709953

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। खेती किसानी का काम करता हूँ। कक्षा बी.ए. तक पढ़ा लिखा हूँ। सोनाचंद मोर्डे मेरा चाचा है जो गांव के, गंगाराम, गनक धीवर, वरुण, दयानिधी एवं मनोहर के साथ कुंजबिहारी बोर्डे के ईंटा भट्ठा मे काम करता था। जो काम करने के बाद घर वापस आ जाता था। दिनांक 14/03/2023 को मेरा चाचा एवं अन्य लोग सुबह काम करने के लिये ईंटा भट्ठा गये थे जो रात को घर नहीं आये थे। दिनांक 15/03/2023 को मेरा चाचा मौली मोर्डे फोन करके बताया कि गंगाराम, गनक धीवर, वरुण, दयानिधी, सोनाचंद का ईंटा भट्ठा मे मृत्यु हो गया है तब मैं कुंजबिहारी बोर्डे के ईंटा भट्ठा मे जाकर देखा तो ईंटा भट्ठा के ऊपर उक्त व्यक्ति पड़ा हुआ था और पांचो का मृत्यु हो गया था। मेरा चाचा सोनाचंद मोर्डे एवं अन्य लोगों का मृत्यु ईंटा भट्ठा के लगे आग की धुंआ से दम घुटने से हुआ है। उनके मृत्यु के बारे में कोई शक व शुबहा नहीं है। यही मेरा कथन है।

Pritam morde
प्रितम मोर्डे

15/3/23

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कथन ॥

गोरखनाथ मोंडे पिता गोवर्धन मोंडे उम्र 27 वर्ष
साकिन गढ़फुलझर थाना बसना जिला महासमुंद

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। रोजी मजदूरी का काम करता हूँ। कक्षा 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। हम लोग दो भाई होते हैं। सोनाचंद मोंडे बड़ा है। जो ग्राम गढ़फुलझर के कुंजबिहारी पांडे के ईंट भट्ठा में काम करता था। काम करने के बाद रात को घर वापस आ जाता था। मेरा भैया के साथ गांव और भी लोग काम करने जाते थे। दिनांक 14/03/2023 को मेरा भैया सोनाचंद मोंडे एवं गांव के ~~[illegible]~~ अन्य लोग काम करने कुंजबिहारी पांडे के ईंटा भट्ठा में गये थे। शाम को ईंटा भट्ठा में आग लगाने के बाद खाना खाकर ईंटा भट्ठा के ऊपर सो गये थे घर वापस नहीं आये थे। दिनांक 15/03/2023 को सुबह करीब 06.00 बजे मेरा चाचा भजन पांडे मुझे फोन करके बताया कि सोनाचंद कुंजबिहारी के ईंटा भट्ठा के ऊपर सोया था जिसका मृत्यु हो गया है। तब मैं कुंजबिहारी के ईंटा भट्ठा के पास जाकर देखा तो ईंटा भट्ठा के ऊपर मेरा भैया सोनाचंद मोंडे, गंगाराम ध्रुव, दयानिधि ध्रुव, अरुण बरीहा एवं जयकरण बरीहा पड़ा हुआ था। जिनका मृत्यु हो गया था। मेरा भैया सोनाचंद बरीहा का मृत्यु ईंट भट्ठा में लगे आग के धुंआ से दम घुटने से हुआ है। उसके मृत्यु में अन्य शक व शुबहा नहीं है। यही मेरा बयान है।

गोरखनाथ

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
15/3/23

Scanned with CamScanner

बयान

नंद बरिहा पिता रामरतन बरिहा उम्र 18 साल
तिलाईपुर थाना कोमाखान जिला महासमुंद (छ.ग.)
मो.नं. 6261448290

मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं कक्षा 12वीं तक पढ़ा हूं रोजी मजदूरी काम करता हूं। मैं लगभग 01 माह से बसना के रघुनाथ पटेल का नव निर्मित काम्पलेक्स का निर्माण गढ़फुलझर में रोड किनारे कर रहे हैं कामप्लेक्स का निर्माण मेरे गांव के अन्य लोगों के साथ कर रहे हैं तथा काम्प्लेक्स के काम में ईंटा बनाने व रचने का काम चल रहा था ईंटा भट्ठा ग्राम गढ़फुलझर के कुंजबिहारी का है ईंटा पकाने हेतु ईंटा रच रहे थे कि दिनांक 14.03.23 को शाम खाना खाकर रात्रि होने से सो गये थे। ईंट भट्ठा के करीब 06 लोग काम कर रहे थे दिनांक 14.03.23 को ईंट भट्ठा का काम समाप्त हुआ उसके उन लोग रात्रि में ईंट भट्ठा में आग लगाये व खाना खाकर सभी 06 लोग ईंट भट्ठा के ऊपर सो गये थे सुबह करीबन 06/00 बजे हमलोग उठे और देखे तो कुछ लोगों की भीड़ लगी थी पास में जाकर देखे तो ईंट भट्ठा के ऊपर 05 लोग जो हुए थे एक व्यक्ति छटपटा रहा था। कुछ देर में भीड़ इकट्ठा हुई और डायल 112 वाहन आ गया व उक्त घायल व्यक्ति को ईंट भट्ठा से नीचे उतारे कुछ समय बाद पता चला कि 05 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पांचों व्यक्तियों की मृत्यु ईंट भट्ठा में आग लगाने से उत्पन्न धुंआ के कारण हुई होगी। संभवतः आग (इन्हीं) (मृतको) द्वारा ही लगायी गयी होगी जिसके उन लोगों की मृत्यु हुई है। इनके उनकी मृत्यु पर अन्य कोई शक संदेह नहीं है।

अकपानंद बरिहा

A G J Y
15.3.22

सत्यापित
थाना प्रभारी
थाना-बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

प्रतिवेदन

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा) महासमुंद
जिला–महासमुंद (छ0ग0)।

विषयः– **स्थल जांच प्रतिवेदन बाबत्।**

––00––

मेरे द्वारा दिनांक 15.03.2023 को ग्राम गढ़फुलझर तहसील बसना जिला महासमुंद में संचालित अवैध ईट भट्ठा का स्थल जांच के दौरान श्री कुंजबिहारी पाडे पिता श्री अवधुत पाडे उम्र 53 वर्ष निवासी गढफुलझर द्वारा स्वंय की भूमि पर गढफुलझर बस्ती में श्रमिकों के माध्यम से किसानों के खेत से मिट्टी लाकर ईट निर्माण एवं ईट भट्ठा का संचालन किया जाना पाया गया। कुंजबिहारी पाडे द्वारा संचालित हाथ ईट भट्ठा निर्माण कार्य के लिये इस विभाग से कोई अनुमति नही लिया गया है। मौके पर 15 घ.मी. मिट्टी, लगभग 10000 नग कच्ची ईट एवं 90000 नग ईट पकाने हेतु भट्ठा में रखा होना पाया गया।

छ0ग0 गौण खनिज नियम 2015 के नियम 3 के तहत् छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आनुवंशिक कुम्हार या उनकी सहकारी सोसायटी द्वारा परंपरागत संसाधनों से बर्तन, कवेलू और ईट बनाने के लिये उनके ग्राम के क्षेत्र से मिट्टी निकालने की छूट प्राप्त है। चूंकि ईट भट्ठा संचालन कर्ता श्री कुंजबिहारी पाडे पिता अवधुत पाडे की जाति कुम्हार होने के कारण खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज नही किया जा सकता है।

तदानुसार प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्नः– पंचनामा।

Bhargav
28.03.23
खनि निरीक्षक
जिला महासमुंद

M.I.

पंचनामा

ग्राम- गडफुलझर
दिनांक- 15.03.23
समय:- 11.50 Am

सलग्न पंचनामा दर्ज किया जाता है कि ग्राम गडफुलझर में श्री कुंजबिहारी पांडे द्वारा संचालित ईंट भट्ठा का निरीक्षण किया गया। मौके पर कुंजबिहारी पांडे पिता अच्युत पांडे द्वारा स्वयं की कृषि पर ग्राम गडफुलझर के श्रमिकों के माध्यम से ईंट बनाया गया है। आसपास के किसानों के खेतों से मिट्टी लाकर यहाँ ईंट का निर्माण किया जाना बताया गया। ईंट भट्ठा के पास मिट्टी लगभग 05 ट्रैक्टर, 10000 नग कच्ची ईंट तथा पकाने हेतु लगभग 90000 नग ईंट भट्ठा में रखा गया है। कल दिनांक 14.03.2023 को भट्ठा में ईंट रचने के बाद शाम 04 बजे लकड़ी तथा भूसी के माध्यम से आग जला कर कुछ मजदूर अपने 2 घर चले गये तथा 06 मजदूर रात का खाना खाने के बाद ईंट भट्ठे के ऊपर सो गये। दिनांक 15.3.23 को सुबह लगभग 06 बजे 05 मजदूर मृत तथा 01 मजदूर का ईलाज रायपुर में होना बताया गया। कुंजबिहारी पांडे द्वारा मौके पर मिट्टी का अवैध खनन नहीं किया गया है, किसानों के खेतों से मिट्टी लाकर ईंट का निर्माण करवाया जाना पाया गया। ईंट का निर्माण कुंज बिहारी पांडे द्वारा स्वयं की घर तथा दुकान निर्माण के लिये बनाया जाना बताया गया। खनिज विभाग से ईंट निर्माण या मिट्टी उत्खनन का कोई अनुमति नहीं लिया गया है।

पंचनामा पढ़, सुनि सत्य कर हस्ताक्षर किया गया।

① कुंजबिहारी पांडे S/o अच्युत पांडे, उम्र-53y. Kunj[illegible]

निवासी- ग्राम गड़फुलझर

② खुवर्धन प्रधान S/o स्व. योगेन्द्र प्रधान [illegible] प्रधान

निवासी - ~~गड़फुलझर~~ नानकसागर (ग्रामीण) 6260680268

③ जसबीर सिंह (राजू) S/o स्व. मलक सिंह — [illegible] 6260786300

ग्राम- गड़फुलझर

④ चन्द्रशेखर पांडे S/o स्व. उद्धव पांडे [illegible] 9009547598

ग्राम - गड़फुलझर

⑤ अर्जुन राणा S/o सच्चिदानंद राणा अर्जुन राणा

ग्राम- गड़ राफेल तह. बलरामपाली

⑥ हरिराम सिदार S/o दशराम हरिराम

ग्राम- किमरकेल तह. बसना

Recorded by me
Bhargav
15.03.2023
उमेश कुमार भार्गव
खनि निरीक्षक-महासमुंद

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 232/2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM PUBLISHED IN THE TIMES OF INDIA DATED 16.03.2023 TITLED "5 INCLUDING MAN & SON SUFFOCATE TO DEATH AT BRICK KILN IN CHHATTISGARH"

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom these presents shall come that I/we, MANISH KASHYAP, authorized representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur do hereby appoint,

Abhinay Sharma (D/2192/2011), Pooran Chand Roy (D/11009/2021), Sakshi Jain (MP/2221/2020), Lakshmi Kant Shrivastava (D/9335/2021), Parul Khurana (D/5897/2022)

(Hereinafter called the Advocate) to be my/our Advocate in the above-noted case and authorize: -

To act, appear plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign, file verify and present pleadings, replications appeal cross-objections or petitions for executions, review, revision, restorations withdrawal compromise or other petition, replies, objections or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents.

To withdraw, or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that many arise touching or in any manner relating to the said case.

To take out execution proceedings.

To deposit, draw and receive moneys, cheque and grant receipt thereof and to do all other acts and things Which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the case.

To appoint and instruct and other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the attorney on our behalf.

And I/We the undersigned do hereby agree to rectify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.
And I/We undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing, or any negligence of the said Advocate/s or his/their Substitute.

And -1/We the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he/they shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same. The free settled is only for the above case and Court.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to those presents the contents of which have been understood by me/us this ....3rd..... day of ....APRIL.......of 2023

Accepted subject to the terms of fees.

Advocates

Abhinay Parul D/11009/2021 sakshi
Lakshmi Kant Srivastava.

Client
Regional Officer
C.G. Environment Conservation Board
Commercial Complex, C.G. Housing Board Colony
Kabir Nagar, Raipur

₹5 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT2716216E2210P 27-MAY-2022

₹5 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT2716219E2210P 27-MAY-2022

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP BAR COUNCIL OF DELHI ₹25 0039755 TWENTYFIVE RUPEES

Scanned by TapScanner